संख्या- 33 /2024/451/तीस-1-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 05 नवम्बर, 2024

विषय- जनपद-बलरामपुर के घूघुलपुर में बस स्टेशन के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-276बी/डीए/पूर्व/24-जेईटी/वि0/20-21, दिनांक 05.04.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर के घूघुलपुर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 553.38 लाख के प्रस्ताव का प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण करते हुये धनराशि रू0 526.45 लाख (सेन्टेज चार्ज , लेबर सेस एंव जी0एस0टी0 सहित) आंकलित की गयी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चार डेपलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित की गयी है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र दिनांक 05.04.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त कि जनपद बलरामपुर के घूघुलपुर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 526.45 लाख (सेन्टेज चार्ज , लेबर सेस एंव जी0एस0टी0 सहित) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 263.225 लाख (रू0 दो करोड़ तिरसठ लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उक्त निर्माण कार्य में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(9) बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें। परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(11) कार्य सम्पादित करते हुये कार्यदायी संस्था जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी कमेटी की संस्तुति पर भराव की मिट्टी की दूरी तथा मात्रा की गणना क्रमश: वास्तविक दूरी से न्यूनतम आवश्यकतानुसार करना सुनिश्चित करें।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मिट्टी की मात्रा के दृष्टिगत परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना हेतु मिट्टी जिन किसानों के खेतों से प्राप्त की जानी है, उन किसानों के नाम ग्राम व उनके खेतों के खसरे का नम्बर, किस किसान के खेत के किस खसरा नम्बर से कितनी मिट्टी प्राप्त की जानी है, उसका किसानवार, खसरावार मिट्टी की मात्रा बरो एरिया के चार्ट का विवरण तथा किसानवार बैंक खाते में भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण पारदर्शी तरीके से मेन्टेन किया जाय तथा इसकी किसी सक्षम स्तर से अधिकारी से समय-समय पर रेन्डम चेकिंग करायी जाय ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता और द्विरावृत्ति न हो।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन हेतु परिवहन निगम द्वारा विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्यूत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगा। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में यदि कोई अन्तर आता है तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी।

(14) परिवहन निगम द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(19) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या–E-9-202-X-2024-25- दिनांक: 28-10-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 33/2024/ 451(1) /तीस-1-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चार डेपलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चार डेपलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।